न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा (म०प्र०)

Rs. 20/-

791
14/11/14

R-4005/III/2014

1- श्रीमती सुशीला मिश्रा पत्नी स्व. श्री शिव कुमार मिश्रा उम्र-67 वर्ष,

2- संदीप कुमार मिश्रा तनय स्व. श्री शिव कुमार मिश्रा उम्र- 43 वर्ष

3- सुनील कुमार मिश्रा तनय स्व. श्री शिवकुमार मिश्रा उम्र- 37 वर्ष

4- प्रदीप कुमार मिश्रा तनय स्व. श्री शिवकुमार मिश्रा उम्र- 39 वर्ष

5- महीप कुमार मिश्रा तनय स्व. श्री शिव कुमार मिश्रा उम्र- 30 वर्ष

6- श्रीमती इंदिरा देवी पत्नी स्व. श्री सूर्य कुमार मिश्रा उम्र- 67 वर्ष

सभी निवासी बिछिया मोहल्ला रीवा तह. हुजूर जिला रीवा (म.प्र.) --------- निगरानीकर्तागण

श्री [illegible] के द्वारा आज दिनांक 14/11/14 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवां

बनाम

1- श्री राजेश कुमार तनय स्व. वेदप्रकाश अग्रवाल

2- बलवन्त राय तनय श्री विश्वनाथ अग्रवाल

3- प्रहलाद राय तनय श्री विश्वनाथ प्रसाद अग्रवाल

तीनो बालिग, तीनो निवासी बासिन पुरवा मोहल्ला वार्ड क्र. 27 तहसील हुजूर जिला रीवा म०प्र० ----- गैर निगरानीकर्तागण

क्रमांक 3466
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ______ को प्रस्तुत 26-11-14
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध अपरकलेक्टर महोदय जिला रीवा द्वारा प्र०क० 1/अ-6/ 2002- 2003 में पारित आदेश दिनांक- 01-10-14

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

1- यहकि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश विधि व प्रक्रिया

क्रमशः2

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-4605/III/14 .... जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	शुशीला — कार्यवाही तथा आदेश — राजेश अग्रवाल	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2.3.16	यह निगरानी अपर कलेक्टर रीवा के प्रकरण क्रमांक 1/अ-6/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 1-10-14 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री अजय पाण्डेय के तर्क श्रवण किये गये तथा निगरानी में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। निगरानी मेमो में अंकित बिन्दुओं के संदर्भ में आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया गया तथा अधी० न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया जाकर आवेदक की ओर से प्रस्तुत आदेश 22 नियम 10 जा०दी० के आवेदन को निरस्त किया गया है जिसके द्वारा अपर कले० के न्याया० में गैर निगरा० क्र० 1 एवं 2 है जिनकी मृत्यु हो जाने के कारण उनके नाम विलोपित किये जाने का निवेदन किया गया था। अपर कलेक्टर द्वारा अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 1-10-14 में यह आधार लिया गया कि आवेदक द्वारा अना० क्र० 1 एवं 2 (अपर कले० न्याया० में) की मृत्यु का दिनांक आवेदन पत्र में नहीं बताया, मृत्यु के संबंध में प्रमाणीकरण का कोई अभिलेख पेश नहीं किया, नाम विलोपित किए जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन में समय सीमा का ध्यान नहीं रखा गया। विलम्ब के संबंध में धारा 5 का आवेदन व शपथपत्र आदि भी प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार आवेदन पत्र जा०दी० आ० 22 नि० 10 की विधिक प्रावधानों के तहत प्रस्तुत होना न मानते हुए तथा नाम विलोपित किए जाने की कार्यवाही को समय सीमा में किया जाना न मानकर निगरानी को प्रचलन योग्य न मानते हुए निराकृत कर दिया गया। सम्पूर्ण प्रकरण के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण में गुणदोष पर निर्णय पारित न किया जाकर तकनीकी आधार	

R. 4005/11/14 | निगरानी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश (निर्णय)	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

पर प्रकरण को खारिज किया गया है। अपर कलेक्टर द्वारा इस तथ्य पर भी विचार नहीं किया गया कि अपर कले० के समक्ष के प्रकरण में अना० क्र १ एवं २ के अलावा अन्य भी अनावेदक थे, जिन्हें भी प्रकरण को निरस्त कर न्याय से वंचित किया गया है। वहीं अनेको न्याय सिद्धांत भी है जिनमे यह स्पष्ट किया गया है कि तकनीकी आधार पर प्रकरण को निरस्त न किया जावे एवं यह भी अनेको न्याय सिद्धांतो मे प्रतिपादित किया गया है कि धारा 5 के बिन्दु पर प्रकरण को निरस्त कर पक्षकारों को न्याय से वंचित न किया जावे उन्हे न्यायप्राप्त दिये जाने हेतु गुण दोष पर प्रकरण का निराकरण किया जाना चाहिए।

अतः उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो रहा है कि अपर कलेक्टर द्वारा तकनीकी बिन्दुओं पर प्रकरण को समाप्त किया गया है, गुणदोष पर कोई निर्णय नहीं किया गया है। परिणाम स्वरूप अपर कलेक्टर का आदेश त्रुटिपूर्ण एवं न्याय संगत नहीं है। अपर कले० को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे अपने समक्ष के प्रकरण में अना० क्र १ एवं २ के संबंध मे यह जांच करें कि उनके कोई वैधिक वारिस तो नहीं है यदि वैधिक वारिस है तो उन्हें रिकार्ड पर लेने की वैधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए अभिलेख पर ले और यदि कोई वैधिक वारिस न हो तो वैधिक प्रक्रिया की पूर्ति एवं पालन आवेदक से कराया जाकर उनके नाम विलोपित किए जाकर प्रकरण में मौजूद पक्षकारगणों को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए गुण दोष पर निर्णय पारित करें ताकि पक्षकार संवैधानिक न्याय पाने से वंचित न हो सके तथा उन्हे न्यायदान मिल सके।

उपरोक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण समाप्त किया जाता है। आदेश की प्रति अधी० न्याया० को भेजी जावे। पक्षकार सूचित है। प्रकरण दा०रि० हो।

(सदस्य)